



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 14 अक्टूबर, 2024 / 22 आश्विन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 02 मार्च, 2024

संख्या: टी0सी0पी0-एफ05/5/2023.—हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977
(1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 66 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचना संख्या
149—राजपत्र / 2024-14-10-2024 (6933)

टी0सी0पी0-एफ/05/05/2023 तारीख 02-03-2024 द्वारा "बीर-बिलिंग विशेष क्षेत्र" में कुछ क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं और उनकी सीमाओं को पुनः परिनिश्चित कर लिया गया है;

और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन अभी तक उक्त विशेष क्षेत्र में नए सम्मिलित किए गए क्षेत्रों के विद्यमान भू-उपयोग को प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि विशेष क्षेत्र के पूर्वोक्त नए सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के परिरक्षण, भूमि खिसकने की रोकथाम करने या भूमि-कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्रों की योजना बनाना और उनका विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 197, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "बीर-बिलिंग विशेष क्षेत्र" में नए सम्मिलित किए गए क्षेत्रों के विद्यमान भू-उपयोग पर, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F05/5/2023, dated 02-03-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd March, 2024

No. TCP-F05/5/2023.—Whereas, some areas have been included in the **Bir-Billing Special Area** and its limits have been re-defined under clause (a) of sub-section (3) of Section 66 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) *vide* Notification No. TCP-F05/5/2023, dated 02-03-2024;

And whereas, existing landuse of the newly included areas of the said Special Area has not yet been published under sub-section (1) of section-15 of the Act *ibid*;

And whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid newly included areas of the Special Area, the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the areas in question in accordance with the provisions of the aforesaid Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing landuse of the newly included areas of the

Bir-Billing Special Area from the date of the publication of this notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh for a period of five years.

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP) .

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

FORM -6
[See rule 9]

NOTICE OF ADOPTION OF EXISTING LANDUSE MAP

Shimla, the 4th October, 2024

No. HIM/TP/PJT/Tahliwal-PA/2024/Vol-I/5241-64.—Whereas, objections and suggestions were invited *vide* Notice **No. HIM/TP/PJT/Tahliwal- PA/ 2024/Vol-I/1537-60, dated 14-06-2024** with respect to the Existing Land Use Map for **Tahliwal** Planning Area under sub-section (1) of Section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977); and whereas, no objection or suggestion has been received.

Now, therefore, in exercise of the powers vested under sub-section (3) of section 15 of the Act *ibid*, Notice is given that the Existing Land Use Map for **Tahliwal Planning Area** is hereby adopted without modifications and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. Director,
Town and Country Planning Department,
Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar,
Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh-171009.
2. The Assistant Town Planner,
Sub-Divisional Town Planning Office,
Una, District Una, Himachal Pradesh.
3. The Secretary,
Nagar Panchayat Tahliwal,
Tehsil Haroli, Distt. Una, Himachal Pradesh.

The said Existing Land Use Map shall come into operation with effect from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh and it shall be conclusive evidence of the fact that the Map has been duly prepared and adopted.

Place : Shimla
Date: 04-10-2024

Sd/-
(KAMAL KANT SAROCH, I.A.S.)
Director,
Town and Country Planning Department,
Himachal Pradesh, Shimla-171009.

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री तिलक राम, निवासी गांव सुंगल, डा0 बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय—प्रार्थना—पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री तिलक राम, निवासी गांव सुंगल, डा0 बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 05-03-1984 है जिसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री तिलक राम, निवासी गांव सुंगल, डा0 बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत देवली, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-10-2024 तक किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित हों अन्यथा श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री तिलक राम, निवासी गांव सुंगल, डा0 बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत देवली, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री राम धन, निवासी गांव नालग, डा0 बरमाणा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय—प्रार्थना—पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थिया श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री राम धन, निवासी गांव नालग, डा0 बरमाणा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 11-03-1969 है जिसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री राम धन, निवासी गांव नालग, डा0 बरमाणा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-10-2024 तक किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित हों अन्यथा श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री राम धन, निवासी गांव नालग, डा0 बरमाणा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्री रतना राम, निवासी गांव भोली (कोट), डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थिया श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्री रतना राम, निवासी गांव भोली (कोट), डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 03-02-1979 है। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्री रतना राम, निवासी गांव भोली (कोट), डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रानी कोटला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-10-2024 तक किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित हों अन्यथा श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्री रतना राम, निवासी गांव भोली (कोट), डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रानी कोटला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।**ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)**

ब मुकद्दमा : श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्री बसंता राम, निवासी गांव डाबर, डा0 रानी कोटला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थिया श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्री बसंता राम, निवासी गांव डाबर, डा0 रानी कोटला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 04-08-1977 है। जिसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्री बसंता राम, निवासी गांव डाबर, डा0 रानी कोटला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रानी कोटला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-10-2024 तक किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्री बसंता राम, निवासी गांव डाबर, डा0 रानी कोटला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रानी कोटला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।**ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)**

ब मुकद्दमा : श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री सेवा दास, निवासी गांव चमयोंग, डा0 जमथल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री सेवा दास, निवासी गांव चमयोंग, डा0 जमथल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 09-02-1977 है। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री सेवा दास, निवासी गांव चमयोंग, डा0 जमथल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौण कोठी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-10-2024 तक किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित हों अन्यथा श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री सेवा दास, निवासी गांव चमयोंग, डा0 जमथल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौण कोठी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप—मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री किशोरी लाल पुत्र श्री जगतो पुत्र खडकू, निवासी रकोग, डा0 बगडार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका सही नाम किशोरी लाल है। उसका नाम ग्राम पंचायत नगाली, आधार कार्ड में सही दर्ज है, लेकिन मलकियती भूमि मुहाल नगाली पटवार वृत्त नगाली में उसका नाम निकू राम पुत्र श्री जगतो पुत्र खडकू दर्ज है जो कि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 18-10-2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री सोनू कुमार सुपुत्र माधो राम, निवासी सेल, डा0 नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम सोनू कुमार है, जोकि उसके आधार कार्ड व ग्राम पंचायत नैनीखड के रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल नैनीखड जरेई में गलती से सोनू दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-10-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 08 / IX-A / 2024 तारीख दायर दावा : 02-08-2024 अग्रिम तारीख पेशी : 16-10-2024

श्रीमती रीता देवी सुपुत्री श्री महिन्द्र लाल, निवासी गांव व डा0 ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
प्रार्थिया।

बनाम

1. श्री सुरेश सुपुत्र स्व० श्री मनी राम, निवासी चफर, डा0 ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 2. श्रीमती सीता देवी सुपुत्री स्व० श्री मनी राम, निवासी चफर, डा0 ककीरा, उप-तहसील

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 3. श्रीमती उषा देवी सुपुत्री स्व० श्री मनी राम पत्नी श्री सुदेश कुमार, निवासी गांव व डा० मेल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 4. श्री रुमालो सुपुत्र स्व० श्री सन्तू, निवासी केहला, डा० ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 5. श्री गुलवंत सिंह सुपुत्र श्री स्व० श्री निको, निवासी सदर बाजार डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

प्रत्यार्थीगण।

दरखास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं० 259/292, खसरा नं० 147/129, रकबा तादादी 01-00-02 बीघा मुहाल ककीरा जरेई, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मुहाल ककीरा जरेई, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के खाता खतौनी नं० 259/292, खसरा नं० 147/129, रकबा तादादी 01-00-02 बीघा मुहाल ककीरा जरेई की तकसीम करवाने हेतु दरखास्त गुजारी है। प्रतिवादी 4 को कई बार समन जारी किये, लेकिन उन्हें समनों की तामील नहीं हो पा रही है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-10-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)**

श्रीमती प्रोमिला देवी पुत्री दुर्गा राम, निवासी टीका संगरोह कलां, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि० प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-Birth & Death) Del.-2024/2-14940, दिनांक 12-08-2024 अनुसार श्रीमती प्रोमिला देवी पुत्री दुर्गा राम, निवासी टीका संगरोह कलां, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि० प्र०) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 30-01-1971 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 30-01-1971 को दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत समीरपुर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती प्रोमिला देवी पुत्री दुर्गा राम, निवासी टीका संगरोह कलां, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 30-01-1971 को ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 30-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)**

श्रीमती विद्या देवी पुत्री बली राम, निवासी टीका ननोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-Birth & Death) Del.-2024/1-13877, दिनांक 30-07-2024 अनुसार श्रीमती विद्या देवी पुत्री बली राम, निवासी टीका ननोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-12-1945 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत ऊहल के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 01-12-1945 को दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत ऊहल में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती विद्या देवी पुत्री बली राम, निवासी टीका ननोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-12-1945 को ग्राम पंचायत ऊहल के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 24-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती ममता रानी पुत्री रोशन लाल, निवासी टीका कुनाणा, डाकघर कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-Birth & Death) Del.- 2024/2-13152, दिनांक 22-07-2024 अनुसार श्रीमती ममता रानी पुत्री रोशन लाल, निवासी टीका कुनाणा, डाकघर कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 27-05-1989 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत कोट के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 27-05-1989 को दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत कोट में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती ममता रानी पुत्री रोशन लाल, निवासी टीका कुनाणा, डाकघर कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 27-05-1989 को ग्राम पंचायत कोट के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती कमला देवी पुत्री लखा राम, निवासी टीका नुघाल, डाकघर कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-Birth & Death) Del.-2024/1-16092, दिनांक 27-08-2024 अनुसार श्रीमती कमला देवी पुत्री

लखा राम, निवासी टीका नुघाल, डाकघर कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 30-11-1955 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत कक्कड़ के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 30-11-1955 को दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत कक्कड़ में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमला देवी पुत्री लखा राम, निवासी टीका नुघाल, डाकघर कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 30-11-1955 को ग्राम पंचायत कक्कड़ के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 30-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)**

1. श्री विकास सिंह पुत्र ओंकार चंद, निवासी टीका गुवारडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री सुख देव, निवासी टीका लक्ष्मीपुर, डा0 पृथ्वीपुर खेडा, विकास खंड विकासनगर, जिला देहरादून (उत्तराखंड) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—विवाह पंजीकरण under section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 20-06-2011 को आपस में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह किया है। लेकिन किसी कारणवश वह विवाह ग्राम पंचायत गुवारडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थीगण अब इस विवाह को ग्राम पंचायत गुवारडू के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर होकर दिनांक

15-10-2024 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 28-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० 02 / T/2024	किस्म मुकद्दमा तकसीम	तारीख दायर 07-02-2024	तारीख पेशी 15-10-2024
-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

मनु

बनाम

देशराज आदि।

उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा किस्म तकसीम हुकमन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में विचारधीन है जिसमें प्रतिवादीगण सर्वश्री 9. श्री जसवन्त सिंह उर्फ यशवन्त सिंह पुत्र खजानू, 13. स्नेह लता पुत्री रघुबीर सिंह पुत्र खजानू, 14. कुमारी रीता पुत्री रघुबीर सिंह पुत्र खजानू, 25. प्रेमचंद पुत्र देवदत्त पुत्र झाणु, 26. प्रवीण देवी पुत्री देवदत्त पुत्र झाणु, 27. गोहड़ी देवी विधवा देवदत्त पुत्र झाणु, 28. चन्द्र सूद पुत्र रामानन्द पुत्र जै करण, 29. विजय करोल पुत्र रामा नन्द पुत्र जै करण, 30. संजय करोल पुत्र रामा नन्द पुत्र जै करण, 31. कृष्ण देवी पुत्री रामा नन्द पुत्र जै करण, 32. चित्रा देवी पुत्री रामा नन्द पुत्र जै करण, 33. निर्मला देवी पुत्री रामा नन्द पुत्र जै करण, 34. राम गोपाल पुत्र जै करण पुत्र नौल मल, 35. पुनम देवी पुत्री जै करण पुत्र नौल मल, 36. मनभरी देवी पुत्री जै करण पुत्र नौल मल, 37. विद्या प्रकाश पुत्र राला राम पुत्र खजाना, 38. रेखा देवी पुत्री राला राम पुत्र खजाना, 39. नरेश देवी पुत्री राला राम पुत्र खजाना, 40. लाजो देवी विधवा राला राम पुत्र खजाना, समस्त वासीगण महाल भ्रान्ता बुहला, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 हैं।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। इसलिए उन्हें बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 15-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आवें अन्यथा आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं० 03 / T/2024	किस्म मुकद्दमा नाम दुरुस्ती	तारीख दायर 15-03-2024	तारीख पेशी 15-10-2024
------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

सतिन्दर कुमार

बनाम

आम जनता।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सतिन्दर कुमार पत्रु कूड़ा मल, वासी गांव रामनगर, मौजा कलोहा रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सतिन्दर कुमार पत्रु कूड़ा मल, वासी गांव रामनगर, मौजा कलोहा रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख वाकया महाल रामनगर में कुण्डा राम पुत्र दीनू दर्ज है जबकि उनका सही नाम कूड़ा मल पुत्र दीनू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके कुण्डा राम उर्फ कूड़ा मल किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता व सम्बंधित रिश्तेदारों को अखबार इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 15-10-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 13-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्याकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
17/T/2023	दुरुस्ती मीटरकान	30-08-2023	15-10-2024
शिव कुमार शर्मा	बनाम		आम जनता।

प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती मीटरकान प्रार्थी श्री शिव कुमार शर्मा पुत्र खुशी राम, वासी सोहारी, मौजा कलोहा रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती मीटरकान मुसाबी इस्तेमाल बाबत खसरा नं0 518 वाकया महाल सोहारी, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रार्थी श्री शिव कुमार शर्मा पुत्र खुशी राम, वासी सोहारी, मौजा कलोहा रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि बन्दोबस्त 1977-78 में खसरा नं0 518, वाकया महाल सोहारी के करुकान सही थे परन्तु इस्तेमाल वर्ष 1986-87 में खसरा नं0 518 में करुकान सही नहीं है। लिहाजा करुकान को इसतेमाल के मुताबिक बन्दोबस्त दुरुस्त किया जाये।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता व सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त दुरुस्ती मीटरकान बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 15-10-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मीटरकान दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 13-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधारी,
रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
06/T/2024	मृत्यु दिनांक पंजीकरण	16-02-2024	15-10-2024

1. अनीता देवी पत्नी बालम राम, वासी महाल कटोह, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

मृत्यु दिनांक पंजीकरण श्री प्रीतम चन्द पुत्र तूफानी, वासी महाल कटोह, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना—पत्र बराये मृत्यु दिनांक पंजीकरण श्रीमती अनीता देवी पत्नी बालम रमा, वासी महाल कटोह, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दायर किया है कि उसके ससुर श्री प्रीतम चन्द पुत्र तूफानी, वासी महाल कटोह की मृत्यु दिनांक 13-06-2014 को हो चुकी है तथा उपरोक्त मृत्यु दिनांक ग्राम पंचायत कटोह में अनजाने में दर्ज न हो पायी है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत कटोह में दर्ज करने के लिए आदेश पारित जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से प्रातिवादी आम जनता व सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त मृत्यु दिनांक पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 15-10-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 13-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
10/T/2024	जन्म तिथि पंजीकरण	07-05-2024	15-10-2024

1. श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री प्रीतम सिंह, वासी महाल कटोह, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण सरोज कुमारी पुत्री प्रीतम सिंह, वासी महाल कटोह, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

प्रार्थना—पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री प्रीतम सिंह, वासी महाल कटोह, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 29-03-1978 को ग्राम पंचायत कटोह टिक्कर में हुआ था तथा सहबन गलती से दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत कटोह टिक्कर में दर्ज करने के लिए आदेश पारित जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 15-10-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 12-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
12/T/2024	मृत्यु दिनांक पंजीकरण	24-07-2024	15-10-2024

1. सोमा देवी पत्नी केहर सिंह, वासी महाल गुडारा, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

मृत्यु दिनांक पंजीकरण केहर सिंह पुत्र हीरा सिंह, वासी महाल गुडारा, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

प्रार्थना—पत्र बराये मृत्यु दिनांक पंजीकरण श्रीमती सोमा देवी पत्नी केहर सिंह, वासी महाल गुडारा, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दायर किया है कि उसके पति श्री केहर सिंह पुत्र हीरा सिंह, वासी महाल गुडारा की मृत्यु दिनांक 16-09-1993 को हो चुकी है तथा उपरोक्त मृत्यु दिनांक ग्राम पंचायत गुडारा चपलाह में अनजाने में दर्ज न हो पायी है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत गुडारा चपलाह में दर्ज करने के लिए आदेश पारित जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से प्रातिवादी आम जनता व सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त मृत्यु दिनांक पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 15-10-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 12-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 15-10-2024

श्री रंजन कुमार पुत्र श्री प्रताप चन्द, निवासी गांव व डा0 रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेरे धारा 13 (3) पुनर्वालोकिता 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 05-04-1976 को गांव रेहलू में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 15-10-2024

कमला देवी विधवा श्री इन्दर सिंह, निवासी गांव झरेड़, डा0 योल झरेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल झरेड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम कमला देवी विधवा श्री इन्दर सिंह है जबकि महाल झरेड़ के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम बिमला देवी विधवा श्री इन्दर सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल झरेड़ में बिमला देवी उर्फ कमला देवी विधवा श्री इन्दर सिंह करवान चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 15-10-2024

मनोहर लाल पुत्र स्व० श्री सफरिया उर्फ जसवन्त सिंह पुत्र श्री सूका, निवासी महाल अनूही, उप-तहसील कोटला, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल स्कोउ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम जसबन्त सिंह पुत्र श्री सूका है जबकि महाल स्कोउ में राजस्व अभिलेख में उक्त नाम सफरिया पुत्र श्री सूका दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल स्कोउ में सफरिया उर्फ जसबन्त सिंह पुत्र श्री सूका करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 15-10-2024

ओम प्रकाश पुत्र श्री राणू राम, निवासी गांव व डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता महाल आलमपुर मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

विषय.— जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र श्री राणू राम, निवासी गांव व डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 15-08-1975 को गांव व डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर में हुआ है लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण दस का इन्द्राज ग्राम पंचायत आलमपुर में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी अब करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ओम प्रकाश पुत्र श्री राणू राम, निवासी गांव व डा0 आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के जन्म दिनांक 15-08-1975 का पंजीकरण ग्राम पंचायत आलमपुर में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 16-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 15-10-2024

नीलम कुमारी पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी गांव भलुन्दर, डा0 लाहड़ू, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता गांव लाहड़ू, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुश्री मुनादी.—आम जनता वासी गांव लाहड़ू, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थिया नीलम कुमारी पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी गांव भलुन्दर, डा0 लाहड़ू, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 15-04-1982 को गांव भलुन्दर में हुआ है लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इस का इन्द्राज ग्राम पंचायत लाहड़ू में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नीलम कुमारी पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी गांव भलुन्दर, डा0 लाहड़ू, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा के जन्म दिनांक 15-04-1982 के पंजीकरण ग्राम पंचायत लाहड़ू में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 15-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 16-10-2024

सलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री मस्त राम पुत्र शुभकरण, निवासी गरला सरकारी, डा0 गरला देई, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थिया सलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री मस्त राम पुत्र शुभकरण, निवासी गरला सरकारी, डा0 गरला देई, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए कि प्रार्थिया का सही नाम सलोचना देवी विधवा मस्त राम है। परन्तु महाल गरला सरकारी के राजस्व अभिलेख में सहबन सरोज कुमारी विधवा मस्त राम दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल गरला सरकारी के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती करके सरोज उपनाम सलोचना देवी विधवा मस्त राम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस राजपत्र इशतहार हि0प्र0/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2024 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

आज दिनांक 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तवारसी देवी पुत्री श्री तारा राम, निवासी गांव व डा0 धरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु हि0 प्र0 पंजीकरण अधिनियम, 1969.

तवारसी देवी पुत्री श्री तारा राम, निवासी गांव व डा0 धरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका जन्म दिनांक 12-02-1989 को गांव व डा0 धरेड, तहसील बैजनाथ में हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 06-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 26 / 2024

तारीख मरजुआ : 17-09-2024

तारीख पेशी : 18-10-2024

श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री टोडर मल हाल पत्नी श्री चुडामणी, निवासी गांव रोपामटयाल, डा0 कोट, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय— प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री टोडर मल हाल पत्नी श्री चुडामणी, निवासी गांव रोपामटयाल, डा0 कोट, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया की नाम कृष्णा देवी जन्म दिनांक 04-05-1975 को घर पर हुआ है। लेकिन उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तरनोह, तहसील कोटली, जिला मण्डी, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं है। अतः ग्राम पंचायत तरनोह में उनका नाम व जन्म तिथि पंजीकरण किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री टोडर मल हाल पत्नी श्री चुडामणी, निवासी गांव रोपामटयाल, डा0 कोट, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम व जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत तरनोह में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 18-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।

यह इशतहार आज दिनांक 30-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, टिहरा,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 15 / 2024

श्रीमती सरला देवी पुत्री स्व0 श्री भगत राम, गांव गहरा, डा0 टिहरा, उप—तहसील टिहरा, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती सरला देवी पुत्री स्व0 श्री भगत राम, गांव गहरा, डा0 टिहरा, उप—तहसील टिहरा, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिहरा में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 02-05-1960 ग्राम पंचायत टिहरा में दर्ज करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी के कार्यालय के पत्र संख्या HFW (MND) (Birth & Death) 2024-1669, dated 24-08-2024 द्वारा प्रार्थिया का आवेदन पत्र अन्य अनुलग्नकों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

अतः आम जनता को इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने बारे में किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-10-2024 को इस अदालत में

असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा इस संस्तुति सहित सम्बन्ध में इस अदालत द्वारा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
टिहरा, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 26/2024

दिनांक : 18-06-2024

इशतहार

सर्वश्री सन्दीप पुत्र श्री जवाहर लाल, निवासी गलू कलां, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 को सूचित किया जाता है कि श्री प्रतिभान राणा पुत्र श्री बीर सिंह राणा, निवासी मकान नं0 51/13, बैंक कालोनी शमशेरपुर, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब ने इस कार्यालय में Case No. 26/2024 (Case titled as Sh. Pratibhan Rana & Others Vs. Sandeep) खाता/खतौनी नं0 27/32, कित्ता-2, रकबा तादादी 09-09-00 बीघा, वाका मौजा बेहरामपुर सलामतपुर, उप-तहसील माजरा की तकसीम हेतु आवेदन किया है। जिसमें आप मुश्तरका मालिक है तथा आपको प्रतिवादी बनाया गया है। उपरोक्त मिसल में आगामी सुनवाई की तिथि 15-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे सुनिश्चित की गई है। अतः आप को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि आप को उपरोक्त खाते की तकसीम से एतराज/आपत्ति है तो आप दिनांक 15-10-2024 तक कार्यालय में आकर अपनी लिखित आपत्ति/एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। हाजिर न होने की सूरत में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल महन्त, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश**

वाद संख्या : 03/2024

संस्थापन तिथि : 13-09-2024

श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री ज्वाला दत्त, निवासी जन्दोरी, डा0 प्राथा, तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

इशतहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह उपरोक्त मुकद्दमा अनुवान वाला में हर आम/खास जनता व जनसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री ज्वाला दत्त, निवासी जन्दोरी, डा0 प्राथा, तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0प्र0) ने अपना जन्म इन्द्राज बारे प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित दायर किया है कि उनका जन्म 15-04-1984 को गांव शांवली, डा0 नयाग्राम, तहसील कसौली में हुआ था। जिसका किसी कारणवश ग्राम पंचायत बनासर के रिकार्ड में जन्म का इन्द्राज नहीं करवा सके, जिसे अब वह ग्राम पंचायत बनासर के रिकार्ड में जन्म इन्द्राज करवाना चाहते हैं जो उपमण्डलाधिकारी (ना.) कसौली के माध्यम से बराये पारित आदेश इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, यदि किसी को उपरोक्त की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत बनासर के रिकार्ड में दर्ज होने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2024 या इससे पूर्व अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में इस कार्यालय में पेश कर सकते हैं। अन्यथा वादी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गये साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त की जन्म तिथि का इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे तथा बाद गुजरने मियाद किसी का कोई एतराज काबले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील वीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 04 / NTB / Misc./2024

तारीख पेशी : 14-10-2024

रमेश चन्द

बनाम

आम जनता

विषय.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

रमेश चन्द पुत्र कांशी राम, निवासी महाल टीहरा, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उनकी भाभी विजय कुमारी पत्नी राकेश कुमार की मृत्यु दिनांक 06-03-2018 को गांव टीहरा, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) में हुई थी। परन्तु उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत टीहरा, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न है लिहाजा मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत टीहरा, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में प्रार्थी की भाभी श्रीमती विजय कुमारी पत्नी राकेश कुमार की मृत्यु तिथि 06-03-2018 को दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 14-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील बीहड़ कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

व अदालत राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप तहसील दुलैहड़,
जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : 58 / 2024

तारीख दायर : 28-07-2024

तारीख पेशी : 30-10-2024

गुरुचरण सिंह गिल पुत्र स्व0 श्री प्रीतम सिंह गिल, निवासी हलेडा, डाकघर पूबोबाल,
उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख दर्ज करने बारे ईशतहार समाचार पत्र/राजपत्र

गुरुचरण सिंह गिल पुत्र स्व0 श्री प्रीतम सिंह गिल, निवासी हलेडा, डाकघर पूबोबाल,
उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारकर निवेदन किया है कि
प्रार्थी के पिता का नाम प्रीतम सिंह गिल पुत्र भगवाना है लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल
हलेडा में मलकीयत सिंह पुत्र भगवाना दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। इसलिए प्रार्थी के पिता का नाम
राजस्व अभिलेख के महाल हलेडा में मलकीयत सिंह उर्फ प्रीतम सिंह गिल पुत्र भगवाना दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारा आम जनता को ईशतहार राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से
सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारा
कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 15-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे असागतन या वकालतन
हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा
कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह ईशतहार आज दिनांक 30-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया
गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार,
उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Dinesh Devi w/o Sh. Sukh Ram, V.P.O. Lagdhar, Tehsil Kotli, Distt. Mandi (H.P.) in my
Adhaar No. 3179 9520 0044 Ganeshi wrongly entered, Correct name is Dinesh Devi. Note Please.

DINESH DEVI
w/o Sh. Sukh Ram,
V.P.O. Lagdhar,
Tehsil Kotli, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Judhiya Devi w/o Sh. Pala Ram, r/o Village Gudhwin, P.O. Bohni, Sub-Tehsil Lambloo, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Ajudhya Devi to Judhiya devi for all purposes in future. Please note .

JUDHIYA DEVI
w/o Sh. Pala Ram,
r/o Village Gudhwin, P.O. Bohni,
Sub-Tehsil Lambloo, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manohar Lal Bhagra s/o Sh. Kishori Lal Bhagra, r/o D-436, Sec-4, New Shimla (H.P.) declare that Manohar Lal Bhagra & Manohar Lal is the name of one and the same person. All concerned note it.

MANOHAR LAL BHAGRA
s/o Sh. Kishori Lal Bhagra,
r/o D-436, Sec-4, New Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manohar Lal s/o Sh. Brahma Nand, r/o Kasmala 539, Mandi (H.P.), India inform that in my PAN Card No. CDXPS3030C my father name wrongly recorded Maghuram Sharma. My father correct name is Brahma Nand.

MANOHAR LAL
s/o Sh. Brahma Nand,
r/o Kasmala 539, Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, JC-429131F Sub/Hony Sub-Maj. Pritam Singh (Retd.) s/o Sh. Lekh Ram aged 54 years, Vill. Malahat, P.O., Teh. & Distt. Una (H.P.) declare that my name in army service record recorded as Pritem Singh. But my correct name is Pritam Singh. Please correct it.

PRITAM SINGH
s/o Sh. Lekh Ram
Vill. Malahat, P.O., Teh. & Distt. Una(H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Meena w/o Sh. Raj Kumar & d/o Sh. Prem Lal Hans, r/o New Building, Near Labour Hostel, Krishna Nagar, Shimla (H.P.) declare that in said PAN Card my father's name was wrongly entered as Dilu Ram instead of Prem Lal Hans. My father's correct name is Prem Lal Hans. All concerned note.

MEENA
w/o Sh. Raj Kumar & d/o Sh. Prem Lal Hans,
r/o New Building, Near Labour Hostel,
Krishna Nagar, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kusum Rani w/o Sh. Rakesh Guleria, r/o Near HRTC workshop, Dehra, P.O. & Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name in school records of my children Shorya Guleria and daughter Shreya Guleria has been wrongly entered Kusum. It may be corrected to Kusum Rani as per my birth and school certificate, adhaar card and panchayat records.

KUSUM RANI
w/o Sh. Rakesh Guleria,
r/o Near HRTC workshop, Dehra,
P.O. & Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Baggo w/o Salim, r/o Village Nanowal-Taprian P.O. Khera, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) have changed my minor son's name from Aarif Mohamad to Mohamad Aarif.

BAGGO
w/o Salim,
r/o Village Nanowal-Taprian P.O. Khera,
Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vijay Kumar s/o Sh. Kashmir Singh, r/o Village Hiun, P.O. Giun, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.) do hereby declare that in Adhaar Card (No. 3211 4952 8371) of my minor son's name wrongly entered Addi Thakur. It should enter correct name Aditya Thakur in Adhaar Card. Concerned please note.

VIJAY KUMAR
s/o Sh. Kashmir Singh,
r/o Village Hiun, P.O. Giun,
Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.).

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, शिमला-4

अधिसूचना

शिमला-4, 9 अक्टूबर, 2024

संख्या: वि०स०/स्था०/सेवा नि०/6-30/80.—अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सहर्ष आदेश देते हैं कि श्रीमती शकुन्तला कान्त, विशेष निजी सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा दिनांक 31-01-2025 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर एफ-आर-56 के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होंगी।

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।